

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/15/ 316

दिनांक:- 6 /05/15

-:: आदेश ::-

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चिअ/एटी/प.2/15/314 दिनांक 4/05/2015 के द्वारा डा0 नरेन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी का खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) के आदेश को तुरन्त प्रभाव से विलोपित (Withdraw) किया जाता है।

डा0 नरेन्द्र शर्मा चिकित्सा अधिकारी यथावत खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) के पद पर कार्य करते रहेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
7. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे।
8. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. संबंधित चिकित्सक
10. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

0141- 2225291

adldirgaz@gmail.com

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं